

भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय रेल संरक्षा आयोग GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CIVIL AVIATION COMMISSION OF RAILWAY SAFETY



मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय तृतीय तल, यातायात लेखा कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नर्ड दिल्ली - 110055 द्रभाष: 011-23369778





O/o Chief Commissioner of Railway Safety, 3rd floor, Traffic Accounts Office, State Entry Road, New Delhi - 110055 Telephone: 011-23369778 Email:sors.moca@nic.in

No. A-12026/5/2017-CRS

Dated: 20.11.2025

CORRIGENDUM

Subject: Amendments to Vacancy Circular No. 02/2025 issued for filling up posts in the Commission of Railway Safety (CRS) on deputation basis.

In partial modification of Vacancy Circular No. 02/2025 dated 18.10.2025 (copy enclosed), the following amendments are hereby issued:

- I. Correction in Pincode of circle offices situated in Kolkata: The Pincode "700007" appearing in the addresses of the circle offices of CRS located in Kolkata shall be read as "700001".
- II. Stream Specification for the Post: For the post of Senior Inspector (Technical) at Southern Circle, Bengaluru, the stream shall be read as "S&T stream".
- III. Inclusion of Additional Vacancies: The following additional posts shall be treated as part of Vacancy Circular No. 02/2025 dated 18.10.2025:

S. NO.	NAME OF POST	SCALE OF PAY &	VAC	ANCY DETAILS	METHOD OF APPOINTMENT	ELIGIBILITY CRITERIA FOR THE POST	
10.		CLASSIFICATION	NO. OF POSTS	CIRCLE OFFICE			
1,	SENIOR PRIVATE SECRETARY	PAY LEVEL- 8 (Rs. 47600- 151100), GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP 'B' GAZETTED, MINISTERIAL	1	NORTHERN CIRCLE, NEW DELHI	DEPUTATION	AS MENTIONED IN VACANCY CIRCULAR NO. 02/2025 DATED 18.10.2025	
2.	SENIOR INSPECTOR (TECHNICAL)	PAY LEVEL-7 (Rs. 44900- 142400), GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP 'B' NON-GAZETTED, NON-MINISTERIAL	1	NORTHERN CIRCLE, NEW DELHI	DEPUTATION	AS MENTIONED IN VACANCY CIRCULAR NO. 02/2025 DATED 18.10.2025	
3.	OFFICE SUPERINTENDENT	PAY LEVEL- 6 (Rs. 35400- 112400), GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP 'B' NON-GAZETTED, MINISTERIAL	1	O/o commissioner of METRO RAILWAY SAFETY (CMRS), NEW DELHI	DEPUTATION	AS MENTIONED IN RECRUITMENT RULES OF OFFICE SUPERINTENDENT (COPY ENCLOSED)	
4.	UPPER DIVISION CLERK	Pay Level- 4 (Rs. 25500-	2	WESTERN CIRCLE, MUMBAI	DEPUTATION	AS MENTIONED IN VACANCY CIRCULAR NO. 02/2025 DATED	
		81100), GENERAL CENTRAL	1	CENTRAL CIRCLE, MUMBAI		18.10.2025	
		SERVICE, GROUP 'C' NON-GAZETTED, MINISTERIAL	1	O/o cmrs, new delhi			

IV. Addition of Addresses for Submission of Applications: Eligible officials are requested to submit their applications through proper channel to the following addresses in respect of the above newly added vacancies:

S. NO.	OFFICE	ADDRESS		
1 WESTERN CIRCLE, MUMBAI		O/O COMMISSIONER OF RAILWAY SAFETY, WESTERN CIRCLE, 2ND FLOOR, CHURCHGATE STN. BLDG. ANNEXE, M.K.ROAD, MUMBAI – 400020		
2	CENTRAL CIRCLE, MUMBAI	O/O COMMISSIONER OF RAILWAY SAFETY, CENTRAL CIRCLE, 2ND FLOOR, CHURCHGATE		
3	NORTHERN CIRCLE, NEW	STN. BLDG. ANNEXE, M.K.ROAD, MUMBAI – 400020 O/O COMMISSIONER OF RAILWAY SAFETY, NORTHERN CIRCLE, CRIS COMPLEX,		
	DELHI	CHANAKYAPURI, NEW DELHI - 110021		
4	CMRS OFFICE, NEW DELHI	O/O COMMISSIONER OF METRO RAILWAY SAFETY, DHAULA KUAN METRO STATION, NEW DELHI - 110021		

- V. Extension of Last Date: The last date for submission of applications is extended to 60 days from the date of issue of this Corrigendum.
- 2. All other terms and conditions of Vacancy Circular No. 02/2025 dated 18.10.2025 shall remain unchanged.
- 3. This issues with the approval of the Competent Authority.

(Avinash Kumar)

Dy. Commissioner of Railway Safety (G)

Encls: As above

Copy to:

- 1. All General Manager of Indian Railways with a request to circulate among the staff and forward their application to this office.
- 2. Under Secretary (D), Ministry of Railways/Railway Board with a request to publish the above vacancy circular through Ministry of Railways Website and among all PSUs under Ministry of Railways.
- 3. Technical Wing, CCRS Office for publishing it on the official website www.crs.gov.in.
- 4. All Circle Offices of the Commission of Railway Safety.



भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय रेल संरक्षा आयोग GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CIVIL AVIATION COMMISSION OF RAILWAY SAFETY



मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय तृतीय तल, यातायात लेखा कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली – 110055

नई दिल्ली - 110055 आज़ादीका द्रामाप : 011-23369778 अमृत मह



O/o Chief Commissioner of Railway Safety, 3rd floor, Traffic Accounts Office, State Entry Road, New Delhi – 110055 Telephone : 011-23369778 Email : sors.moca@nic.in

दिनांक: 20.11.2025

संख्या. ए-12026/5/2017-सी आर एस

शुद्धिपत्र

विषयः रेल संरक्षा आयोग (सीआरएस) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों को भरने के लिए जारी रिक्ति परिपत्र संख्या 02/2025 में संशोधन।

रिक्ति परिपत्र संख्या 02/2025 दिनांक 18.10.2025 (प्रति संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित संशोधन जारी किए जाते हैं:

- I. कोलकाता स्थित परिमण्डल कार्यालयों के पिन कोड में सुधार: कोलकाता स्थित रेल संरक्षा आयोग के पिमण्डल कार्यालयों के पते में प्रदर्शित पिन कोड "700007" को "700001" पढ़ा जाएगा।
- II. पद के लिए विषय विशेषज्ञता: दक्षिण परिमण्डल, बेंगलुरु में विरष्ठ निरीक्षक (तकनीकी) के पद के लिए, विषय को "सिग्नल एवं दूरसंचार विषय" पढ़ा जाएगा।
- **III. अतिरिक्त रिक्तियों का समावेश:** निम्नलिखित अतिरिक्त पदों को रिक्ति परिपत्र संख्या 02/2025 दिनांक 18.10.2025 के भाग के रूप में माना जाएगा:

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान एवं वर्गीकरण		रिक्ति विवरण		पद के लिए पात्रता मानदंड	
			पद	परिमण्डल कार्यालय			
		8	संख्या				
1,	वरिष्ठ निजी	वेतन स्तर- 8 (रु. 47600-	1	उत्तर परिमण्डल	प्रतिनियुक्ति	रिक्ति परिपत्र संख्या	
	सचिव	151100),				02/2025 दिनांक	
		सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख'				18.10.2025 में यथा	
		राजपत्रित, सचिवीय		40		उल्लेखित	
2.	वरिष्ठ	वेतन स्तर- 7 (रु. 44900-	1	उत्तर परिमण्डल	प्रतिनियुक्ति	रिक्ति परिपत्र संख्या	
	निरीक्षक	142400),				02/2025 दिनांक	
	(तकनीकी)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह				18.10.2025 में यथा	
		'ख'अराजपत्रित, अनुसचिवीय				उल्लेखित	
3.	कार्यालय	वेतन स्तर- 6 (रु. 35400-	1	मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त	प्रतिनियुक्ति	कार्यालय अधीक्षक के भर्ती	
	अधीक्षक	112400),		कार्यालय, नई दिल्ली		नियमों में यथा उल्लेखित	
		सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह				(प्रति संलग्न)	
		'ख'अराजपत्रित, अनुसचिवीय					

4.	उच्च श्रेणी	वेतन स्तर- 4 (रु. 25500-	2	पश्चिम परिमण्डल, मुम्बई	प्रतिनियुक्ति	रिक्ति परिपत्र	संख्या
	लिपिक	81100),				02/2025	दिनांक
		सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	1	मध्य परिमण्डल, मुम्बई		18.10.2025 ਤੁਲੇ ਤਿਕਰ	में यथा
		, g	1	मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली			

IV. आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पते जोड़ना: पात्र कार्मिको से अनुरोध है कि वे उपरोक्त नई जोड़ी गई रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित पते पर उचित माध्यम से अपने आवेदन प्रस्तुत करें:

क्रम संख्या	कार्यालय	पता
1	पश्चिम परिमण्डल, मुम्बई	रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पश्चिम परिमण्डल, दूसरी मंजिल, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग
		एनेक्सी, एम.के.रोड, मुंबई - 400020
2	मध्य परिमण्डल, मुम्बई	रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, मध्य परिमण्डल, दूसरी मंजिल, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग
		एनेक्सी, एम.के.रोड, मुंबई - 400020
3	उत्तर परिमण्डल, नई	रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, उत्तर परिमण्डल, क्रिस कॉम्प्लेक्स, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
	दिल्ली	- 110021
4	मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त	मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, धौला कुआं मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली - 110021
	कार्यालय, नई दिल्ली	

V. अंतिम तिथि का विस्तार: आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि इस शुद्धिपत्र के जारी होने की तिथि से 60 दिन तक बढ़ा दी गई है।

- 2. रिक्ति परिपत्र संख्या 02/2025 दिनांक 18.10.2025 के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।
- 3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(अविनाश कुमार)

रेल संरक्षा उपायुक्त (सा.)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:

- 1. भारतीय रेलवे के सभी महाप्रबंधकों को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे अपने कर्मचारियों के बीच प्रसारित करें और उनके आवेदन इस कार्यालय को अग्रेषित करें।
- 2. अवर सचिव (डी), रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड को इस अनुरोध के साथ कि वे उपरोक्त रिक्ति परिपत्र को रेल मंत्रालय की वेबसाइट और रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों में प्रकाशित करें।
- 3. तकनीकी विंग, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय को इसे आधिकारिक वेबसाइट <u>www.crs.gov.in</u> पर प्रकाशित करने हेत्।
- 4. रेल संरक्षा आयोग के सभी परिमंडल कार्यालय।



सी.जी.-डी.एल.-सा.-14052022-235780 CG-DL-W-14052022-235780

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, मई 1— मई 7, 2022, शनिवार/ वैशाख 11—वैशाख 17, 1944

No. 17] NEW DELHI, MAY 1—MAY 7, 2022, SATURDAY/VAISAKHA 11-VAISAKHA 17, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग असांविधिक विभागीय कैंटीन भर्ती नियम, 2015 के नियमों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

2845 GI/2022 (395)

Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of :-	onsidering
Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services	– Chairman
Director (Leprosy), Directorate General of Health Services	– Member
Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska	- Member
Chief Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska	- Member.

[F. No. A-12018/44/2018-Lep.] SHORAN SINGH, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मई, 2022

सा.का.नि. 69.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नागर विमानन मंत्रालय, रेल संरक्षा आयोग समूह 'बी' (अराजपत्रित पदों) भर्ती नियम 2003, जहां तक वे संबंधित हैं, के अधिक्रमण में कार्यालय अधीक्षक का पद, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत रेल संरक्षा आयोग के परिमण्डल कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक पदों की भर्ती की पद्धित में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:- (1) इन नियमों का नाम, नागर विमानन मंत्रालय, रेल संरक्षा आयोग (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं इत्यादि:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता** वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद के बाबत शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन अथवा
			लेवल	अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कार्यालय अधीक्षक	10 (2022) [*] [*] कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित ग्रुप 'बी'	लेवल-6 (₹ 35400- 112400)	चयन पद
		अनुसचिवीय		

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
(6)	(7)
लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए पदोन्नति वालों के आवेदन देने के मामले में निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हता	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जानें वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो	पद्धति
		पदोन्नति असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

(11)

पदोन्नति:

प्रवर श्रेणी लिपिक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 (₹25,500/- - 81,100/-) परिमण्डल कार्यालय में ग्रेड में दस साल की नियमित सेवा के साथ जिसमें रिक्ति होती है और प्रशासन या स्थापना या नकद, बजट और खातों से संबंधित दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

नोट 1: जहां किनष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके विरष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो साल से कम न हों, जो भी कम हो, और अपने किनष्ठों के साथ अगली कक्षा में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्तिः

केंद्र सरकार या राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी

- (क) (1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; या
- (2) मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष या वेतन मैट्रिक्स में लेवल 5 (₹29,200/- 92,300/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद संवर्ग में छह साल की नियमित सेवा के साथ; या
- (3) मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष या वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 (₹25,500/- 81,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद संवर्ग में दस साल की नियमित सेवा के साथ, और
- (ख) प्रशासन या स्थापना या नकद या बजट या खातों में दो साल का अनुभव।
- नोट 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

\sim	7 0	$C \subset \mathcal{I}$	_	\sim
यदि विभागीय	पटान्नात	यामात र	ता उग	पका यरचना
नायानगागान	14111/	VIIII/I 6,	(11)	त्रामा सार्भाग

(12)

विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति और पुष्टि हेतु) की संरचना :-

1. परिमण्डल कार्यालय का रेल संरक्षा आयुक्त जहां रिक्ति है

-अध्यक्ष

2. रेल संरक्षा उपायुक्त (सामान्य)

-सदस्य

3. नागर विमानन मंत्रालय में रेल संरक्षा को संभालने वाला निदेशक या उप सचिव

-सदस्य

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. ए-75/2/2019-आर.एस.]

अमित कुमार झा, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 5th May, 2022

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Civil Aviation, Commission of Railway Safety Group 'B' (Non-Gazetted posts) Recruitment Rules 2003, so far as they relate to the post of Office Superintendent, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in Circle Offices of the Commission of Railway Safety in the Ministry of Civil Aviation, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Commission of Railway Safety (Office Superintendent) Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, Classification and level in pay matrix.-The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other Person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person or posts.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the	Whether selection post
			pay matrix	or non selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Office Superintendent.	10 (2022)*	General Central	level-6	Selection Post
	*Subject to variation	Service,	(Rs. 35400 –	
	dependent on	Group 'B', Non-	112400)	
	workload.	Gazetted,		
		Ministerial.		

Age-limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	
(8)	(9)	(10)	
Not applicable	T	Method	
Tot approacie	Two	Promotion failing which by deputation.	

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

Promotion:

Upper Division Clerk in level 4 (Rs. 25,500/- – 81,100/-) in pay matrix with ten years regular service in the grade in the circle office in which the vacancy occurs and having successfully completed two or four weeks training relating to administration or establishment or cash, budget and accounts.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers of Central Government or State Government and Union Territories

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with six years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 5 (Rs. 29,200/-92,300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
 - (iii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 4 (Rs. 25,500/-81,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. and
 - (b) two years experience in administration or establishment or cash or budget or accounts.
- **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- **Note 3:** The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion	Committee exists	, what is its compositi	ion.

(12)

Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:-

 Commissioner of Railway Safety of the Circle office where the vacancy exists

-Chairperson

2. Deputy Commissioner of Railway Safety (G)

-Member

Director or Deputy Secretary handling Railway Safety in Ministry of Civil Aviation.

-Member

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.

(13)

Consultation with Union Public Service Commission is not Necessary

[F. No. A-75/2/2019-RS]

AMIT KUMAR JHA, Under Secy.



भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय रेल संरक्षा आयोग GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CIVIL AVIATION COMMISSION OF RAILWAY SAFETY



मुख्य रेन संरक्षा आयुक्त कार्यालय तृतीय तन, यातायात लेखा कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली - 110055 दूरमान : 011-23369778

ईमेन : sors.moca@nic.in



O/o Chief Commissioner of Railway Safety, 3rd floor, Traffic Accounts Office, State Entry Road, New Delhl - 110055 Telephone: 011-23369778 Email:sors.moca@nic.in

Dated: / 8.10.2025

No. A-12026/5/2017-CRS

VACANCY CIRCULAR No. 02/2025

Subject: Filling up various posts in the Commission of Railway Safety under Ministry of Civil Aviation on deputation basis.

The Commission of Railway Safety (CRS), an organization under the administrative control of Ministry of Civil Aviation, invites applications from willing and eligible officials for appointment on various posts in the Commission of Railway Safety on deputation basis as per details given below:-

S. NO.	NAME OF POST	AME OF POST SCALE OF PAY & CLASSIFICATION		NCY DETAILS	METHOD OF	ELIGIBILITY CRITERIA	
NO.		CEASSIFICATION	No. of posts	CIRCLE OFFICE	APPOINTMENT	FOR THE POST	
1.	SENIOR PRIVATE SECRETARY	Pay Level- 8 (Rs. 47600- 151100),	1	SOUTHERN CIRCLE, BENGALURU	DEPUTATION	AS MENTIONED IN RECRUITMENT RULES	
	GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP 'B' GAZETTED,	1	SOUTH CENTRAL CIRCLE, SECUNDERABAD		(COLUMN 11 OF G.S.R. 311 IN ANNEXURE 1)		
		MINISTERIAL	1	NORTHEAST FRONTIER CIRCLE, KOLKATA			
			1	EASTERN CIRCLE, KOLKATA			
2.	SENIOR INSPECTOR (TECHNICAL) PAY LEVEL-7 (Rs. 44900- 142400), GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP 'B' NON-GAZETTED, NON-MINISTERIAL	(Rs. 44900- 142400),	2 (01 Mechanical & 01 Operating)	TECHNICAL WING, CCRS OFFICE, NEW DELHI	DEPUTATION	AS MENTIONED IN RECRUITMENT RULES (COLUMN 11 OF G.S.R.	
		1	SOUTHERN CIRCLE, BENGALURU		37 IN ANNEXURE 2)		
		1	SOUTH CENTRAL CIRCLE, SECUNDERABAD				
3.	TECHNICAL ASSISTANT	Pay Level- 5 (Rs. 29200-92300), General Central Service, Group 'c' Non-Gazetted, Ministerial	1	TECHNICAL WING, CCRS OFFICE, NEW DELHI	DEPUTATION	AS MENTIONED IN RECRUITMENT RULES OF TECHNICAL ASSISTANT (COLUMN 12 OF G.S.R. 163 IN ANNEXURE 3)	
4.	UPPER DIVISION CLERK	Pay Level- 4 (Rs. 25500- 81100), General Central	1	SOUTH CENTRAL CIRCLE, SECUNDERABAD	DEPUTATION	AS MENTIONED IN RECRUITMENT RULES OF UPPER DIVISION CLERK	
		SERVICE, GROUP 'C' NON-GAZETTED,	1	SOUTH EASTERN CIRCLE, KOLKATA		(<u>COLUMN 12 OF G.S.R.</u> 175 IN ANNEXURE 4)	
	Ministe	MINISTERIAL	1	EASTERN CIRCLE, KOLKATA			

Application of willing personnel, fulfilling the above conditions may be forwarded through proper channel along with the approval of Cadre Controlling Authority & following documents:

(i) Bio-Data (in duplicate) as in the proforma given Annexure-A

(ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested on each page along with duly attested copy of grading sheet of ACR/APAR provided (iii) Vigilance Clearance Certificate

(iv) Integrity Certificate

(v) A statement giving details of major/minor penalties imposed on the officer, if any during last 10 years.

3. An applicant can apply in only one circle office for the post for which he/she is eligible. The complete application should be submitted within 60 days from the date of issue of this circular, to the circle office where the candidate wish to apply for, on the following address:

S. NO.	OFFICE	ADDRESS
1	CCRS OFFICE, NEW DELHI	RS SECTION, CAMP OFFICE OF CCRS, MINISTRY OF CIVIL AVIATION, ROOM NO. 39A, B BLOCK, RAJIV GANDHI BHAWAN, SRI AUROBINDO MARG, NEW DELHI-110003.
2	SOUTHERN CIRCLE, BENGALURU	O/O COMMISSIONER OF RAILWAY SAFETY, SOUTHERN CIRCLE, 2ND FLOOR, RAIL SANRAKSHA BHAVAN, BEHIND RAILWAY DIVISIONAL OFFICE, BENGALURU-560023
3	SOUTH CENTRAL CIRCLE, SECUNDERABAD	O/O COMMISSIONER OF RAILWAY SAFETY, SOUTH CENTRAL CIRCLE, GROUND FLOOR, RAIL NIRMAN NILAYAM, SAROJINI DEVI ROAD, SECUNDERABAD — 500003
4	NORTHEAST FRONTIER CIRCLE, KOLKATA	O/o commissioner of railway safety, northeast frontier circle, new koilaghat building (12th floor), 14 strand road, kolkata – 700007
5	EASTERN CIRCLE, KOLKATA	O/o commissioner of railway safety, eastern circle, new koilaghat building (12th floor), 14 strand road, kolkata – 700007
6	SOUTH EASTERN CIRCLE, KOLKATA	O/O COMMISSIONER OF RAILWAY SAFETY, SOUTH EASTERN CIRCLE, NEW KOILAGHAT BUILDING (12TH FLOOR), 14 STRAND ROAD, KOLKATA – 700007

Terms & Conditions:

- The applicant must fulfill the essential qualification & experience for the post as mentioned above as well as
 other conditions stipulated in this advertisement.
- II. The applicant is advised to satisfy himself/ herself before applying that he/she possess at least the essential qualification/ experience as laid down in the respective Recruitment Rules of the post.
- III. One applicant is eligible for applying against one post of only one circle office. Multiple applications will be rejected.
- IV. Only applications received through proper channel & with the approval of the Cadre Controlling Authority shall be considered for the appointment.
- V. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- VI. The applicant should ensure that their application must reach the concerned circle office where the applicant wish to apply, before closing date.
- VII. The application received after the closing date or other than through proper channel or without ACRs/APARs or incomplete in any respect shall not be entertained.

(Avinash Kumar)

Dy. Commissioner of Railway Safety (G)

Encls: As above

Copy to:

- 1. The Under Secretary (CS-I), DoPT, LoK Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi with a request to publish the above vacancy circular through DoPT website.
- 2. All General Manager of Indian Railways with a request to circulate among the staff and forward their application to this office.
- 3. Under Secretary (D), Ministry of Railways/Railway Board with a request to publish the above vacancy circular through Ministry of Railways Website and among all PSUs under Ministry of Railways.
- 4. Technical Wing, CCRS Office for publishing it on the official website www.crs.gov.in.
- 5. All Circle Offices of the Commission of Railway Safety.



नागर विमानन मंत्रालय रेल संरक्षा आयोग GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CIVIL AVIATION COMMISSION OF RAILWAY SAFETY



मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय तृतीय तल, यातायात लेखा कार्यालय, स्टेट पंट्री रोड, नई दिल्ली – 110055

दूरभाष : 011-23369778 ईमेल : sors.moca@nic.in आज़ादी क अमृत महोत्सव



O/o Chief Commissioner of Railway Safety, 3rd floor, Traffic Accounts Office, State Entry Road, New Delhi – 110055 Telephone: 011-23369778 Email: sors.moca@nic.in

दिनांक: | 8.10.2025

संख्याः 12026/5/2017-आर एस

रिक्ति परिपत्र संख्या 02/2025

विषयः नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभिन्न पदों को भरना।

रेल संरक्षा आयोग (सीआरएस), जो नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक संगठन है, निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर रेल संरक्षा आयोग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक और पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है:-

क्रम	पदनाम	नाम वेतनमान एवं वर्गीकरण	रिक्ति विवरण		नियुक्ति की	पद के लिए पात्रता मानदंड
संख्या	व्या		पदों की संख्या	परिमण्डल कार्यालय	विधि	
1	वरिष्ठ निजी सचिव	actor conce		दक्षिण परिमण्डल, बेंगलुरु	प्रतिनियुक्ति	जैसा कि भर्ती नियमों में उल्लेख किया गया है
	केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	1	दक्षिण मध्य परिमण्डल, सिकन्द्राबाद	(अनुलग्नक 1 में जी.एस.आर. 311 का कॉलम		
		1	पूर्वोत्तर सीमान्त परिमण्डल, कोलकाता		11)	
			1	पूर्व परिमण्डल, कोलकाता		
2	वरिष्ठ वेतन स्तर-7 निरीक्षक (रु. 44900-142400), सामान्य (तकनीकी) केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, गैर- अनुसचिवीय	2 (01 यांत्रिक एवं 01 परिचालन)	तकनीकी विंग, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	प्रतिनियुक्ति	जैसा कि भर्ती नियमों में उल्लेख किया गया है (अनुलग्नक 2 में जी.एस.आर. 37 का कॉलम 11)	
		1	दक्षिण परिमण्डल, बेंगलुरु			
		1	दक्षिण मध्य परिमण्डल, सिकन्द्राबाद			
3	तकनीकी सहायक	वेतन स्तर- 5 (रु. 29200-92300), सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	1	तकनीकी विंग, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	प्रतिनियुक्ति	जैसा कि तकनीकी सहायक के भर्ती नियमों में उल्लिखित है (<u>अनुबग्नक 3 में</u> जी.एस.आर. 163 का कॉबम <u>12</u>)
4	उच्च श्रेणी लिपिक	वेतन स्तर- 4 (रु. 25500-81100),	1	दक्षिण मध्य परिमण्डल, सिकन्दाबाद	प्रतिनियुक्ति	जैसा कि उच्च श्रेणी लिपिक के भर्ती नियगों में उल्लेख
		सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	1	दक्षिण पूर्व परिमण्डल, कोलकाता		किया गया है (<u>अनुलग्नक 4</u> में जी.एस.आर. 175 का
		अराजपात्रत, अनुसचिवाय	1	पूर्व परिमण्डल, कोलकाता		कॉलम 12)

- 2. उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक कार्मिकों के आवेदन, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के अनुमोदन एवं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उचित माध्यम से अग्रेषित किए जा सकते हैं:
- (i) जीवनवृत (दो प्रतियों में) जैसा कि अन्लग्नक-क में दिए गए प्रपत्र में है
- (ii) पिछले पांच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की फोटोकॉपी प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत सत्यापित की गई हो, साथ ही एसीआर/एपीएआर की ग्रेडिंग शीट की विधिवत सत्यापित प्रति भी प्रदान की गई हो।
- (iii) सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र
- (iv) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र
- (v) पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाए गए प्रमुख/लघु दंडों, यदि कोई हों, का विवरण देने वाला कथन ।

3. कोई भी आवेदक जिस पद के लिए पात्र है, उसके लिए केवल एक ही परिमंडल कार्यालय में आवेदन कर सकता है। पूरा आवेदन इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उस परिमंडल कार्यालय में, जहाँ उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है, निम्नलिखित पते पर पहुंच जाना चाहिए:

क्रम संख्या	कार्यालय	पता
1	मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त	आरएस अनुभाग, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त का शिविर कार्यालय, नागर विमानन
	कार्यालय, नई दिल्ली	मंत्रालय, कमरा संख्या 39ए, बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-
		110003
2	दक्षिण परिमण्डल, बेंगलुरु	कार्यालय रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण परिमण्डल, द्वितीय तल, रेल संरक्षा भवन, रेलवे
		मंडल कार्यालय के पीछे, बेंगलुरु-560023
3	दक्षिण मध्य परिमण्डल,	कार्यालय रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण मध्य परिमंडल, भूतल, रेल निर्माण निलयम,
	सिकन्द्राबाद	सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद - 500003
4	पूर्वोत्तर सीमान्त परिमण्डल,	कार्यालय रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर सीमांत परिमंडल, न्यू कोइलाघाट बिल्डिंग (12वीं
	कोलकाता	मंजिल), 14 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता - 700007
5	पूर्व परिमण्डल, कोलकाता	कार्यालय रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्व परिमंडल, न्यू कोइलाघाट बिल्डिंग (12वीं मंजिल), 14
		स्ट्रैंड रोड, कोलकाता - 700007
6	दक्षिण पूर्व परिमण्डल, कोलकाता	कार्यालय रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण पूर्व परिमंडल, न्यू कोइलाघाट बिल्डिंग (12वीं
		मंजिल), 14 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता - 700007

नियम एवं शर्तें:

- I. आवेदक को उपर्युक्त पद के लिए आवश्यक योग्यता एवं अनुभव के साथ-साथ इस विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा।
- II. आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वह स्वयं आश्वस्त हो लें कि उसके पास पद के संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित कम से कम आवश्यक योग्यता/अनुभव है।
- III. एक आवेदक केवल एक ही परिमण्डल कार्यालय के एक पद के लिए आवेदन करने का पात्र है। एक से अधिक आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे।
- IV. केवल उचित माध्यम से और संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के अनुमोदन से प्राप्त आवेदनों पर ही नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।
- V. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- VI. आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आवेदन अंतिम तिथि से पहले संबंधित परिमण्डल कार्यालय, जहाँ आवेदक आवेदन करना चाहता है, पहुँच जाना चाहिए।
- VII. अंतिम तिथि के बाद या उचित माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त या एसीआर/एपीएआर के बिना या किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(अविनाश कुमार)

रेल संरक्षा उपायुक्त(सामान्य)

<u>संलग्नकः उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि:

- अवर सचिव (सीएस-I), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि
 उपर्युक्त रिक्ति परिपत्र को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित करें।
- 2. भारतीय रेल के सभी महाप्रबंधकों को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे कर्मचारियों के बीच प्रसारित करें और उनके आवेदन इस कार्यालय को अग्रेषित करें।
- 3. अवर सचिव (डी), रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड को इस अनुरोध के साथ कि वे उपरोक्त रिक्ति परिपत्र को रेल मंत्रालय की वेबसाइट और रेल मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रकाशित करें।
- 4. तकनीकी विंग, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय को इसे आधिकारिक वेबसाइट <u>www.crs.gov.in</u> पर प्रकाशित करने हेतु।
- 5. रेल संरक्षा आयोग के सभी परिमंडल कार्यालय।

ANNEXURE-A

BIO-DATA PROFORMA

1.	Name and Address in Block letter									
2.	Date of birth (in Christian era	a)								
3.	Date of retirement under Cer	Date of retirement under Central/State Government								
	Rules									
4. Educational Qualifications										
5.	Whether educational an treated as equivalent to	d other qualification	ons required fo d in the rules, st	r the posts a rate the author	are satisfied. (If ar ority for the same)	ny qualification	has been			
		Qualificati	ons/Experience	required	Qualifications/l	Experience pos	sessed by			
	Essential	(1) (2) (3)		to make the		and omice)				
	Desired	(1)								
6. 7.	Please state clearly whe Details of Employment in the space below is insufficient.	chronological ord								
	Office/Instt/Orgn.	Post held	From	То	Scale of pay and Basic pay	Nature of duties				

8.	Nature of presently employment, i.e. ad hoc or temporary/ quasi permanent or permanent
9.	In case the present employment is held on deputation / contract basis. Please state –
	(a) The date of initial appointment(b) Period of appointment on deputation/contract(c) Name of the parent office/organization to which you belong
10.	Additional details about present employment
	Please state whether working under
(B (C (D	Central Government State Government Autonomous Organizations Government undertakings Universities
11.	Are you in Revised Scale of Pay ? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale
12.	Total emoluments per month now drawn
13.	Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient
14.	Whether belongs to SC/ST
15.	Remarks
	Signature of the candidate
	Address:
Date:	
	Verified and forwarded (On behalf of Employer)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment		
(12)	(13)		
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of re-employed Armed Forces Personnel) consisting of :— 1. Secretary, Union Public Service Commission —Chairman 2. Additional Secretary (Administration, —Member Appointment, General, Services-I and Recruitment Rules) Union Public Service Commission	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.		
3. Joint Secretary (Administration) —Member			

[F. No. 39021/5/91-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Foot Note: The Principal rules were published *vide* number G.S.R. 262, dated the 15th May, 2001 and subsequently amended *vide* Number—

- 1. G.S.R. 671, dated the 3rd December, 2001;
- 2. G.S.R. 181, dated the 24th May, 2005;
- 3. G.S.R. 205, dated the 8th August, 2006.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 311.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल संरक्षा आयोग निजी सहायक (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय के रेल संरक्षा आयोग के परिमण्डल कार्यालयों में, विरष्ठ निजी सिचव के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, रेल संरक्षा आयोग, (विरष्ठ निजी सिचव) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- **2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची		
———— पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन पद	सीधे भर्ती किए
			ग्रेड वेतन/	अथवा	जाने वाले व्यक्तियों
			वेतनमान	अचयन पद	के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ निजी	9*(2011)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड−2,	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सचिव	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'ख',	9300—		
	आधार पर	राजपत्रित,	34800 ক.		
	परिवर्तन किया	अनुसचिवीय	(ग्रेड वेतन		
	जा सकता है।		4800 চ.)		
	ए जाने वाले व्यक्तियो शैक्षिक और अन्य अ	ार्हताएं विहित आयु	कए जाने वाले व्यक्तियों के और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न ो दशा में लागू होंगी या नर्ह	त	ी अवधि यदि कोई हो
	(7)		(8)		(9)
	 गू नहीं होता		लागू नहीं होता लागू नहीं होता		
प्रतिनियुक्ति/अ		ी या प्रोन्नति द्वारा या विभिन्न पद्धतियों द्वारा तता	•	त या आमेलन द्वारा भर्त त या आमेलन किया ज	ीं की दशा में वे श्रेणियां जिनसे गएगा
	(11)		(12)		
प्रिति	तियुक्ति/आमेलन द्वा	TI .	प्रतिनियुक्ति∕आमेल I.1 केन्द्रीय सरकार व	न : क्रे अधीन ऐसे अधिकार्र	ì:
			(क) (I) जो मूल व किए हुए		प्रमित आधार पर सदृश पद धारण
			रु. में वि		34800 रु. और ग्रेड वेतन 460 नेयुक्ति के पश्चात् दो वर्ष क
			रु. में नि		34800 रु. और ग्रेड वेतन 420 युक्ति के पश्चात् छ: वर्षों क
			(ख) आशुलेखन (अ	नंग्रेजी - हिन्दी) में दक्ष	ाता रखते हैं ।
			या किसी अन्य संगठन	।/विभाग में इस नियुक्ति	अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उस से ठीक पहले धारित किसी अन् धि है, साधारणतया तीन वर्ष र

अधिक नहीं होगी।

(11)टिप्पण 2 : प्रतिनियक्ति द्वारा नियक्ति के लिए अधिकतम आय-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई थी) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । सिवाय जहां एक से अधिक पर्व-पनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। विभागीय प्रोन्नित सिमिति है तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (12)(13)लागू नहीं होता जब विचार क्षेत्र में किसी अधिकारी का आमेलन के आधार पर नियक्ति किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/01/09-आर एस]

ओमा नन्द, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 25th October, 2011

- **G.S.R.** 311.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Commission of Railway Safety, Personal Assistant (Stenographers) Recruitment Rules, 2001, except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary, in the Ministry of Civil Aviation, in the Circle Offices of the Commission of Railway Safety, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Commission of Railway Safety (Senior Private Secretary) Group 'B' post, Recruitment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and pay band and grade pay/pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का		भारत का राजपत्र : न	वम्बर 12, 2011/कार्ति	क 21, 1933	1485	
		SC	HEDULE			
Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Senior 09*(2011) General Ce Private *Subject to Service, G Secretary variation Gazetted,		General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300— 34800 with Grade Pay Rs. 4800	Not applicable	Not applicable	
Educational for direct rec	and other qualificati	-	Whether age and equalifications presses the direct recruits we case of promotees	cribed for	l of Probation, if any	
	(8)		(9) Not applicable		(10) Not applicable	
Not a	applicable					
recruitment of tion/absorption	ecruitment: Whether or by promotion or b ion and percentag be filled by various	by deputa- from whe	* *	omotion or deputation or absorption		
	(10)			(11)		
By Deputation/Absorption		Deputati	on/Absorption:			
		Officers	under Central Gove	rnment :		
		(A) (i)	holding analogous department; or	posts on regular basis	in the parent cadre or	
		(ii)	•	egular service in the geto on a regular basis in		

- - 34800 with Grade Pay of Rs. 4600, or
 - (iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2 of Rs. 9300— 34800 with Grade Pay of Rs. 4200, and
- (B) possessing proficiency in shorthand (Engligh/Hindi).
- Note 1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- Note 3: For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except

(11)
where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
Circumstances in which Union Public Service
Commission is to be consulted in making recruitment
(13)
Consultation with Union Public Service Commission necessary when an officer in the field of consideration for appointment on absorption basis.
[F. No. A-12018/01/09-RS] OMA NAND, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 312.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल इंजीनियरी समृह 'ख' सेवा नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा (संशोधन) नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 4 के उपनियम (1) में, 'वेतनमान' शब्द के स्थान पर 'वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान' शब्द रखे जाएंगे।
 - 3. उक्त नियमों की अनुसूची 1 में—
 - (क) शीर्ष में, "वेतनमान" शब्द के स्थान पर, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे; और
 - (ख) स्तंभ (4) में शीर्ष और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा"वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान"
 - "वेतन बैंड, रु. 9300—34800 धन ग्रेड वेतन रु. 4600"।
 - 4. उक्त नियमों की अनुसूची 2 के स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--
 - "(1) चालीस प्रतिशत रिक्तियां रु. 4200 ग्रेड वेतन के साथ रु. 9300—34800 के वेतनबैंड 2 में ऐसे किनष्ट इंजीनियर (सिविल) और किनष्ट इंजीनियर (यांत्रिकी) में से भरी जाएंगी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में स्नातक उपाधि हैं, और
 - (2) साठ प्रतिशत रिक्तियां रु. 4200 ग्रेड वेतन के साथ रु. 9300—34800 के वेतनबैंड 2 में ऐसे किनष्ठ इंजीनियर (सिविल) और किनष्ठ इंजीनियर (यांत्रिकी) में से भरी जाएंगी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में डिप्लोमा हो।

टिप्पण: यदि किसी प्रवर्ग से, उस प्रवर्ग से प्रोन्नित द्वारा भरे जाने के लिए आबंटित रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त पात्र अधिकारियों अर्थात् डिग्री धारकों या डिप्लोमा धारकों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो नियंत्रक प्राधिकारी सभी या किन्हीं रिक्तियों को, अन्य प्रवर्ग से उपयुक्त पात्र अधिकारियों की प्रोन्नित द्वारा इस शर्त के अधीन रहते हुए भर सकेगा कि किसी भी प्रवर्ग के अधिकारियों में से भरे जाने वाले पदों का सम्पूर्ण अनुपात, जहां तक हो सके ऊपर विहित प्रतिशत के अनुसार बनाए रखा जाएगा।"

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	Direct recruitment.	Not applicable
		Note Vacancies caused by the incumbent	
		being away on deputation or long illness or	
		study leave or under other circumstances for a	
		duration of one year or more may be filled on	
		deputation basis from officers of Central	
		Government:	
		(a)(i) holding analogous posts on regular	
		basis in the parent cadre or Department; and	
		(b) possessing the qualifications and	
		experience prescribed for direct recruits under	
		column (7).	

(12)		(13)			
Departmental confirmation committee (for considering confi	Consultation	with	Union	Public	
consisting of:		Service Comn	nission	is not nec	essary.
1. Chief Engineer, Central Water Commission	- Chairman;				
2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment)	,				
Department of Water Resources, River Development and					
Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti	Member;				
3. Secretary, Central Water Commission	Member;				
4. Director, Central Water Commission	- Member.				

[F. No. A-12018/16/2017-E-I] A.K. DAS, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020

सा.का.नि.37.— राष्ट्रपित, अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत रेल संरक्षा आयोग में रेलवे निरीक्षणालय सेवा में विरष्ठ निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे निरीक्षणालय सेवा [वरिष्ठ निरीक्षक (तकनीकी)] भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उन वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं इत्यादि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनसची

		- 1 (3	X 31			
पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन अथवा	सीधे भर्ती	सीधे भर्ती के
			में लेवल	अचयन पद	के लिए	लिए अपेक्षित
					आयु सीमा	शैक्षिक और
					_	अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वरिष्ठ निरीक्षक	25 (2020)	साधारण केन्द्रीय	लेवल-7	लागू नहीं होता	लागू नहीं	अनिवार्य
(तकनीकी)	*(कार्यभार के आधार	सेवा, समूह 'ख'	(₹.44900-			लागू नहीं
	पर परिवर्तन किया जा	अराजपत्रित	142400)			
	सकता है)	अननुसचिवीय	,			

सीधी भर्ती के लिए प्रमोटी के आवेदन देने के मामले में निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हता	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या विश्व विद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के तहत अधिकारी:

- (क) (1) पैतृक संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना: या
 - (2) ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा के साथ नियुक्ति के बाद लेवल 6 (रू 35400-112400) वेतन मैट्रिक्स के पदों में नियमित आधार पर या पैतृक संवर्ग या विभाग में समकक्ष : तथा
- (ख) अनुभव और शैक्षिक योग्यता रखने:
 - (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग या विदयुत और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री
 - (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग या विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक और दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और सम्बन्धित विषय में सरकारी संगठन में दो साल का अनुभव I

- नोट (1): प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाहय कॉडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित (अल्पकालिक अनुबंध सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- नोट (2): प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं l	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
	आवश्यक नहीं है l

[फा. सं. ए-11013/30/2015-आर.एस.] संतोष कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 18th February, 2020

- G.S.R. 37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Inspector (Technical) in the Railway Inspectorate Service in the Commission of Railway Safety in the Ministry of Civil Aviation, namely:
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Railway Inspectorate Service [Senior Inspector(Technical)] Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, Classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.
- **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of	Number of	Classification	Level in	Whether selection	Age-limits	Educational
Post	Posts		the pay	post or non selection	for direct	and other
			matrix	post	recruits	qualifications
						required for
						direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior	25(2020)	General	Level-7	Not	3.7	Essential
Inspector	*	Central	(Rs. 44900	applicable	Not	Not
(Technical)	(Subject	Service,	-142400)		applicable	applicable
,	to	Group "B",	ŕ			
	variation	Non-				
	dependent	Gazetted,				
	on	Non				
	workload)	Ministerial				

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Deputation including short -term contract

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(11)

Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations,-

- a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience:-
- (i) Bachelors Degree in Civil Engineering or Mechanical Engineering or Electronics and Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institution;

Or

- (ii) Diploma in Civil Engineering or Mechanical Engineering or Electronics and Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institution and having two years' experience of duty in a Government Organisation in the related subject.
 - **Note1:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
 - **Note 2:** The Maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(12)
Not applicable

I	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
	(13)
	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary for filling up the post.

[F.No. A-11013/30/2015-RS] S. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2001

सा.का.नि. 163:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद
309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते
हुए और रेस संस्था आयोग, राक्षनीकी खंड में (समूह 'ग' प्रार 'घ' पद) भर्ती नियम 1988 को जहां तक उनका संबंध सकतीकी सहामक भौर निम्न श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक कमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, नागर विमानन मंद्रालय, रेस संरक्षा प्रायोग, तकनीकी खंड में तकनीकी सहायक और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विमियमन करने के लिए मिम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम भीर प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रेल संरक्षा भागोग, तकनीकी खंड (तकनीकी सहायक भौर भवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग') भर्ती नियम, 2001 है।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रमृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेसनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पढ़ित, आयु सीमा और मन्य अर्हताएं, मादि : उक्त पदों पर भर्ती की प्रद्वति, स्नायु सीमा, झाईसाएं और उनसे संबंधित मन्य यातें वे होंगी जो उक्त मनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिधिष्ट हैं।

- 4. निरर्हता : वह व्यक्ति ---
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका प्रति का जिसकी पत्नी जीविस है विवाह किया है, या
- (ख) जिसने ग्रपने पति या ग्रपनी पत्नी के जीधित रहते हुए किसी ब्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर मियुक्तिका पाल नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा बिबाह ऐसे ब्यक्ति और खिलाह के अन्य पक्षकार को ल्हागू स्त्रीय विधि के अस्त्रीन अनुक्षेय है और ऐसा करने के लिए अन्य बाधार हैं तो कह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सक्केगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबुद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आवेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे झारक्षण, आयु-सीमा में छूट और झन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए झादेशों के अनुसार झनु-स्चित जातियों, अनुस्चित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

धनुसूची

प्रवःकाः भाम	वदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमा न
1	2	3	4
सकनीकी सहायक	2*(दो) 2001 *कार्यक्मार के ग्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपक्षित), घनुसचिवीय	4500-125-7000 ছ.
ज्बत-सह-क्येष्ठता मा मोय्यता के क्राधार पर कमन पद	सीधे भर्ती किए ज्ञाने वाले व्यक्ति .लिए ग्रायु सीमा		जयदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) 30 के अधीन अनुजेय है या नही
•			

सीचे भर्ती किए जाने बाा व्यक्तियों के लिए जिहिन भाग और परिनीका की अवधि यदि कोई हो सीय भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो शैक्षिक अहँताए प्रोक्षत व्यक्तियों की दशा में जान होगी यह के लिए अपेक्षित गीक्षक भार ग्रन्य नही ग्रहताए 1σ 8 g लागू नहीं होता लागु वर्दी होता ाागू नही होता प्रोक्षति/प्रतिनियुक्ति/प्रामेशन द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां भर्ती की पद्धति भर्ती सोधे होगी या प्रोन्नित दारा या प्रतिनिय्क्ति क्षामेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरे जाने वाले पदो जिनसे प्रोन्दिति/प्रिनियुक्ति/श्रामेलन किया जाएगा की प्रतिज्ञतता 12 11 प्रोन्नति द्वारा जिसके न हा सकने पर प्रतिनियुक्ति ३।रा पोप्नि

नकनोकी खड में सेवारन ऐसा अवर श्रेणी लिपिक, जिसने उस श्रेणी में निम्नतम तेरह वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रनिन्युक्ति

रेल सरक्षा आयोग के सर्किल कार्यालय मे काम कर रहे ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेया की है, जिसके न हो संकने पर केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारी---

- (क) जो नियमिन आधार पर सदृश पद धारण किए हुए 🐍
- (ख) ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्षे सेवाकी है।

टिप्पण

- जहा ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबध में, जिन्होंने अपनी मर्ह्य पास्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार पिया जा रहा हो यहा उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियो के सबस्र में भी विचार विया जाएगा परन्तु यह सब जब कि उनके द्वारा सी गई ऐसी प्रहंक पावता सेवा, श्रोक्षित ग्रहेंक/पालता सेवा के श्राधे में श्रधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होन प्रपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्हाने ऐसी ग्राईक/पालता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, ग्रगसी उच्चतर श्रेणी मे प्रोन्नति के लिए ग्रपनी परि-वीक्षा की श्रवधि सफलनापूर्वक पूरी कर ली हो।
- 2 प्रतितियुक्ति की श्रवधि, जिसके धतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य सगठन/विमान मे इस नियुक्ति से ठीक पहले बारित किसी भ्रत्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की ग्रवधि है साधारणतया तीन वर्ष से श्रधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति हारा नियुक्ति के लिए ग्रधिकतम ग्रायु सीमा ग्रावेदन प्राप्त करने की ग्रतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोक्तत समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परि में परामर्श किया जाएगा	रस्थितियों में संघ लोक सेना श्रायोग ।
13		14	
समृह 'ग' विभागीय प्रोन्नति	समिति	लागू नहीं होता	
(प्रोक्तिया प्रतिनियुक्ति के	संबंध में विचार करने के लिए):	•	
(1) उप रेल संरक्षा भागू उसकी श्रनुपस्थिति ^ह निवंहन करने वाला	में उसके कर्तव्यों को		
	जो मुख्य रेल संरक्षा —सदस्य दिष्ट किया जाएगा ।		
•	रेल संरक्षा भ्रमुभागसदस्य		
1	2	3	4
ग्रवर श्रेणी लिपिक	2* (दो) (2001) *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन किया जन सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपन्नित), धनुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590, ₹.
5		6	7
नागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष		लागू नहीं होता
	भारत में ग्रम्यां पयों वे नियत की गई अंतिय अंतिम तारीख जो मा मिजोरम, मणिपुर, ना कश्मीर राज्य के ल लाहौल और स्पीति वि	रने के लिए निर्णायक तारीख ते ग्रावेदन प्राप्त करने के लिए म तारीख होगी । (न कि वह सम, मेघालय, ग्रहणाचल प्रदेश, गालैंड, तिपुरा, सिन्थिम, जम्मू- इंग्ल खंड, हिमाचल प्रदेश के जेले तथा चम्बा जिले के पांगी निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के इंत की गई है) ।	
8		9	10
(1) मैट्रिक या समतुल्य, (2) टंकण (अंग्रेजी या गितः परस्यु ग्रह	हुन्दी) में प्रसि मिनटं 30 शब्द की कं:	लागू नहीं होता	दो वर्ष

- (क) ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास टंकण मे उक्त श्रहेंता नही है इस गर्त के प्रवीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि जब तक वह टंकण मे प्रतिभिनट 30 शब्द की गति प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह वैतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए या उसे श्रेणी में पुष्टिकरण के लिए पान नहीं होगा।
- (ख) ऐसे मारीरिक रूप से असुवित्राग्रस्त व्यक्ति को, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए ग्रन्यथा र्घाहत है, किन्तु उसके पास टक्तग मे उक्त श्रहंता नहीं है, इस गर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधायस्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से सलग्न चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड नहीं है वहा मुख्य चिकित्सा प्रधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि उक्त अभुविधाप्रस्त व्यक्ति टंकण कर सकते के योग्य नहीं है।

11

12

सीबी भर्ती, जिसके न हो सकने पर अ। मेलन द्वारा टिप्पण .

निम्त श्रेणी लिपिक के पद में 10 प्रतिगत रिक्तियां कार्यालय मे कार्य कर रहे समृह 'ध' कर्मचारियो मे से निम्नलिखित पद्धति से भरी जाएगी --

- (1) चयम, ऐसे सर्नुह 'घ' कर्मचारियों के लिए सीभित विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जी निम्नतम मौक्षक श्रहताओ, श्रयात् मौद्रिक या समत्त्य की अपेक्षा पूरी करते हैं।
- (2) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी (ग्रनुस्चित जातियो/ग्रनुसूचित जनजातियो के कर्म-चारियों के 45 वर्ष)।
- (3) समृह 'घ' पद में निम्नतम पाच वर्ष की सेवा आवश्यक

भ्रन्य सरकारी कार्यांसधों में ऐसे निम्न श्रेणी निपिक के ग्रामेलन द्वारा, जो समरूप या समतुल्य श्रेणी में कर्त्य कररहाहै।

13

14

समृह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि/आमेलन के लिए)

(1) उप क्रायुक्त रेल मण्का (मामान्य) या 'उसकी ग्रनुपस्थिति में उसने कर्तव्यो का निर्वहन करने वाला प्रधिकारी

(2) रेल सरक्षा उपायुक्त जो मुख्य आयुक्त रेल सरक्षा द्वारा नामनिर्विष्ट किया जाएगर ।

(3) अनुभाग अधिकारी, रेल सरक्षा अनुभाग

लागुनही होता

Name of the post

New Delhi, the 5th March, 2001

- G.S.R. 163.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Commission of Railway Safety, Technical Wing (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the posts of Technical Assistant and Lower Division Clerk, except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Technical Assistant and Lower Division Clerk in Technical Wing of the Commission of Railway Safety in the Ministry of Civil Aviation namely:—
- 1. Short title and comencement.—(1) These rules may be called the Commission of Railway, Safety, Technical Wing (Technical Assistant and Lower Division Clerk, Group 'C') Recruitment Rules, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of the posts, classification and scale of pay:—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said

Number of post

posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

- 4. Disqualifications.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Whether Selection

Scale of Pay

SCHEDULE

Classification

			,	cum Seniority or Select on by Merit post
1	2	3	4	5
1 Technical Assista	2* (Two) *(001) Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted Ministerial	Rs. 4,500-125-7.00	0 Not applicable-
Age limit for direct recruits	Whother benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Centr Civil Services (Pension) Rules 1972	•	ed for direct qual	ther age and educational ifications prescribed for lirect recruits shall by in case of premotees
6	7		}	
				9

Period of probation if any

-Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

-Method of recruitment whether by direct recruitment or by absorption, the grades from which promotion or absorption to be made

10

11

12

Not applicable

By Promotion failing which by Deputation

PROMOTION:

Lower Division Clerk serving in the Technical Wing with a minimum thirteen years of regular service in the grade:

DEPUTATION.

Upper Division Clerks with five years service in the grade working in the Circle office of the Commission of Railway Safety, failing which officials of Central Government

- (a) holding analogous post on regular basis; or
- (b) Upper Division Clerks with 5 years service in the grade

Note I. Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligible lity service.

Note 2. The period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on closing date of receipt of applications.

If a departmental promotion committee exists, what is its composition Circumstances in which Union Public

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or deputation):

Not applicable

- (1) Deputy Commissioner of Railway Safety (General) or in his absence the officer looking after his duties—Chairman
- (ii) a Deputy Commissioner of Railway Safety nominated by the Chief
- Commissioner of Railway Safety—Member
- (iii) Section Officer, Railway Safety Section-Member

2 Rs. 3050-75-3950-80-4590 2. Lower Division Clerk 2* (Two) General Central Not applicable Service Group 'C' *(2001) Subject to variation dependent (Non-Gazetted) on work load. Ministerial 8 9 7 6

18 to 27 years

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Not applicable (1) Matriculation or equivalent;

minute in typing, or

Not applicable

typing (English or Hindi)
Provided that:
(a) a person not possessing the said
qualification may be appointed subject
to condition that he will not be eligible
for drawing increments in the pay scale
or for confirmation in the grade till he

or she aquires a speed of 30 words per

(2) A speed of 30 words per minute in

(b) a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the special Employment Exchange for the handicapped or where there is no such Board, the Chief Medical Officer, certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.

10 11 12

2 years

Direct recruitment failing which by absorption

Note: 10 percent of vacancies in the post of Lower

Division Clerks shall be filled from amongst and

Group D employees working in the office as per

following procedure:—

Absorption of a Lower Division Clerk working in a similar of equivalent grade from other Contral Government Offices

- (i) Selection will be made through a Departmental Examination confined to such Group 'D' employees who fulfill the requirement of minimum educational qualification namely matriculation or equivalent:
- (ii) The maximum age for this examination would be 40 years (45 years for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes employees):
- (iii) Minimum of five years service in a Group 'D' post would be essential.

THE GAZETTE OF INDIA MARCH 17, 2001/FHALGUNA 26, 1922 [PAR1 II--SFC 3(1)] 13 14 Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation/absorption) Not applicable (i) Deputy Commissioner of Railway Safety (General) or in his absence the officer looking after this duties- Chairman (ii) Deputy Commissioner of Railway Salety nominated by the Chief Commissioner of Railway Safety -Member (iii) Section Officer Railway Safety Section Member. [No A-12018 5/00-RS] PRAKASH (HANDRA Dy Secy जल समाधन मन्नालय नई विल्ली, 28 फरवरी 2001 मा का नि 164 ---राष्ट्रपनि संविधान के प्रनुच्छेद ३०७ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त णक्तिया का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सम्ह क' ग्रौर समह ख' नर्ती नियम 1963 का ग्रौर संपाधन करने के लिए निस्तलिखित नियम है, म्प्रथात् 1 सक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारभ (1) इस नियमो प्रा सक्षिप्त नाम केन्द्रीय गुमिगत जल बोर्ड समृह 'क' ग्रीर समृह 'उ' (सणोधन) नियम 2001 है । भर्ती मे प्रकाशनकी तारीख का प्रवृत्त होगे। 2 केन्द्रीय भूमिगत जल वोर्ड समाउ वं ग्रौर समह 'खं भर्ती नियम 1963 की श्रनसची के स्थान पर निम्तलिखित जाएगी, ग्रर्थात् प्रनुसूची पदो की सस्या वर्गीकरण वेतनमान कानाम 2 1 माधारण केन्द्रीय सेवा, समृह 10 000-325-15,200 ቹ ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ।जपवित्र, अनसचिवीय (2001) **"कार्यभार** ब्रक्ष्म्बर्तन किया जा सकता है। सेवा मे जोडे गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय मिविल सेवा सीधे भर्ती किए जाने बाले चैयन मह-ज्येष्ठना यायोग्यता क व्यक्तियों क लिए श्राय-सीमा (पेणन) नियम, 1972 के नियम 30 के श्रधीन ग्राधार पर चयन ग्रयका भ्रचयन पर्द म्र**न्जेय** है या नही 5 लागु नहीं होता **चय**न सह ज्येष्ठता नागु नही होता

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 175.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल संरक्षा आयोग सिर्किल कार्यालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2001, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय में रेल संरक्षा आयोग के सिकिल कार्यालयों में समूह 'ग' पदों में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) **इन नियमों** का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षा आयोग, सर्किल कार्यालय, समूह 'ग' पद (उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरहता,--वह व्यक्ति,--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनु सूची						
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च श्रेणी लिपिक	11* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	चेतन बैंड । ग्रेड वेतन- 2400 रु. वेतनमान 5200- 20200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

44384109-4

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
. (8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

(11)

(12)

50% प्रोन्नित द्वारा और 50% अवर श्रेणी लिपिकों से सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । प्रोन्नित : ऐसे सर्किल कार्यालय में जिसमें रिक्ति होती है, के ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : उच्च श्रेणी लिपिकों की 50% रिक्तियां सर्किल कार्यालय में जहां

रिक्ति हुई है कार्यरत अवर श्रेणी लिपिकों में से निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी:—
(i) चयन, अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष की अनुमोदित और

(i) चयन, अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष की अनुमोदित और निरन्तर सेवा कर चुके अवर श्रेणी लिपिकों तक सीमित एक विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा ।

(ii) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारी :

(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोगजन से किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/उस तारीख से, जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अनिधक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन/वेतनमान सिहत एक श्रेणी में वेतनमान विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड हैं। उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानीय ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

विकल्प के न होने की दशा में आमेलन के द्वारा ।

(12)

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

जिनके पास मैट्रिक्लेशन या समतुल्य अर्हताएं हैं और जिन्होंने विभागीय अर्हता

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना					भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेव आयोग से परामर्श किया जाएगा	
	(13)				((14)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	भागीय प्रोन्नति स् प्रतिनियक्ति के लि		ों विचार करने वं	िलए।)	लागू	नहीं होता ।
(i) उपायुक्त में उसके (ii) उपायुक्त	ा, रेल संरक्षा (साध ने कर्तव्यों का निर्वा ा, रेल संरक्षा, जो	भारण) और उस की हन कर रहा अधिक मुख्य आयुक्त रेल	अनुपस्थिती ारी —3 संरक्षा द्वारा	मध्यक्ष	is .	
	ष्ट किया जाएगा अधिकारी, रेल सं	रक्षा अनुभाग		सदस्य सदस्य		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अवर श्रेणी लिपिक	25* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड । ग्रेड वेतन- 1900 रु. वेतनमान 5200- 20200 रु.	अचयन	लागॄ नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल कर के 40 वर्ष तक की जा सकती है ।)
	(8)			((9)	(10)
कक्षा या उसके (ii) मैनुअल	समतुल्य अर्हता । टाइपराइटर पर अं	विश्वविद्यालय से 1 ग्रेजी में 30 शब्द मेनट की टंकण गि	प्रति	ांभ ।। में दश्	र्शत विस्तार तक	2 বর্ষ
कम्प्यूटर पर अंग्र	प्रेजी में 35 शब्द प्रा	ते मिनट या हिन्दी में गे । (10500 के डी	i 30	,		
कुंजी औसत तत	त्स्थायी प्रति मिनट	शब्द दबाव के लि 30 शब्द और 35	•			
प्रति मिनट हो ।	1)					
	(I1)		. (12)	
(1) 85% सीध (2) 10% विध (3) 5% प्रोन्न	मागीय पंरीक्षा के म	ाध्यम से ।	(ii)	10% प्रतिशव	ा रिक्तियां ऐसे सर्	माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । केल कार्यालय में जहां रिक्ति हुई है, वेतन कार्यरत ऐसे पदधारियों में से भरी जाएंगी,

(12)

परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा के लिए अधिकतम पात्रता आयु 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष ।)

(iii) 5% रिक्तियां ऐसे सर्किल कार्यालय में जहां रिक्ति हुई है, वेतन बैंड । और 1800 रु. ग्रेड वेतन में कार्यरत ऐसे पदधारियों में से ज्येष्टता-सह-योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी, जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता है । आमेलन :

केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से समरूप या समतुलय श्रेणी में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिक।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/उस तारीख से, जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अनिधक पूर्व पुनरीक्षित ग्रेड वेतन/वेतनमान सिंहत एक श्रेणी में वेतनमान विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है । उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानीय ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(13) (14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति लागू नहीं होता ।

(पुष्टि और आमेलन के लिए चयन के संबंध में विचार

करने के लिए ।)

(i) उपायुक्त, रेल संरक्षा (साधारण) और उसकी अनुपस्थिती

में उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा अधिकारी —अध्यक्ष

(ii) उपायुक्त, रेल संरक्षा, जो मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा द्वारा

नामनिर्दिष्ट किया जाएगा —सदस्य

(iii) अनुभाग अधिकारी, रेल संरक्षा अनुभाग —सदस्य

िफा. सं. ए-12018/02/2009-आर एस | ओमा नन्द, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 15th December, 2009

- G.S.R. 175.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Commission of Railway Safety, Circle Offices (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2001, expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, Group 'C' in the Circle Offices of the Commission of Railway Safety in the Ministry of Civil Aviation, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Commission of Railway Safety Circle Offices Group 'C' posts (Upper Division Clerk and Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay. —The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 4. Disqualifications.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of person or posts.
- 6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE -

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band, and Grade pay/ Pay Scale	Whether Selection or Non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	. (6)	(7) .
1. Upper Division Clerk	(2009) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band 1 Grade Pay Rs. 2400 Scale of pay Rs. 5200- 20,200	Non- selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct ecruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and persentage of the vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by promotion or deputation, or absorption, grades from which promotion/deputation to be made

(12)

(!1

50% by Promotion and 50% by limited departmental examination from Lower Division Clerks failing which by deputation

Promotion:

Lower Divison Clerk serving in the Circle Office where the vacancy occurs with a minimum eight years of regular service in the grade.

Note: 50% of vacancies in the post of Upper Division Clerks will be filled from amongst Lower Division Clerks working in the Circle Office where vacancy occurs as per following procedure—

- (i) selection shall be made through departmental examination confined to Lower Division Clerk with minimum of approved and continuous service of eight years in Lower Division Clerk grade;
- (ii) the maximum age for this examination shall be 50 years.

Deputation: Official of Central Government—

- (a) holding analogous post on regular basis; or
- (b) with eight years of regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided that they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : दिसम्बर 19, 2009/अग्रहायण 28, 1931 757 (12)Note 3: The period of deputation including period of deputation held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on closing date of receipt of applications. If a Departmental Promotion Committee exists, what is Circumstances in which Union Public Service its composition Commission is to be consulted in making recruitment (13)(14)Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Not applicable. Promotion and selection for deputation):-(i) Deputy Commissioner of Railway Safety -Chairman (General) and in his absence officer performing his duties (ii) Deputy Commissioner of Railway Safety —Member nominated by Chief Commissioner of Railway Safety (iii) Section Officer, Railway Safety Section --Member (l) (3) (4) (2) (5)(6) (7) 2. Lower 25* General Pay Band 1 Non-Not applicable Between 18 to 27 years Division (2009)Central Grade Pay selection (Relaxable for Government Rs, 1900 Clerk *Subject to Service, servants upto 40 years in variation Pay Scale Group 'C', accordance with the instrucdependent Non-Gazetted, Rs. 5200tions or orders issued by on Ministerial 20,200 Central Government.) workload. Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (10)(8)(9)(i) 12th class or equivalent qualification from a recognized Yes, to the extent indicated Two years Board or University. in column 11. (ii) A typing speed of 30 words per minutes in English or 25 words per minutes in Hindi on manual typewriter A typing speed of 35 words per minutes in English or 30 words per minutes in Hindi on computer. (35 words per minutes and 30 words per minutes correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key-

depressions for each words.

(11)

- (1) 85% by direct recruitment
- (2) 10% through Departmental Examination
- (3) 5% by Promotion
- In case options fail then by absorption.

(12)

(i) 85% by direct recruitment through SSC.

(ii) 10% of vacancies shall be filled up from amongst the official in the Pay Band 1 with Grade Pay of Rs. 1800 working in the Circle Office where vacancy occurs, who possess

Matriculation or equivalent qualifications and have rendered 5 years regular service in the grade, on the basis of a Departmental qualifying Examination. The maximum eligibility for examination is 45 years (50 years of age for SC/ST)

(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from the official in the Pay Band I with Grade Pay of Rs. 1800 working in the Circle Office where vacancy occurs, who possess matriculation or equivalent qualification.

Absorption:

Lower Division Clerk working in a similar or equivalent grade from other Central Government Offices.

Note 1: Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided that they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay and pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

(13)		(14)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (fo	Not applicable.	. ,	
selection for absorption):—			
(i) Deputy Commissioner of Railway Safety (General) and in his absence officer performing his duties	—Chairman		
(ii) Deputy Commissioner of Railway Safety to be nominated by the Chief Commissioner of Railway Safety	—Member		
(iii) Section Officer, Railway Safety Section	Member		